CBSS

22

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ७ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ११ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१)(क) प्रत्येक उत्पादन कम्पनी, उस विद्युत ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा :

परंतु ऐसी किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा जिसमें कि मध्यप्रदेश शासन का इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा (इक्विटी) हो.

(ख) किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस विद्युत् ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में, यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा :

परंतु किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं उपभुक्त की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "उत्पादन कम्पनी", "व्यक्ति", "कैप्टिव उत्पादन संयंत्र", "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" और "उपभोक्ता" के वही अर्थ होंगे जो विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा २ में उनके लिए दिए गए हैं.".

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 253-18-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो खण्ड (क) तथा (ख) के अंतर्गत नहीं आता है और जो राज्य के बाहर से मुक्त अभिगमन के माध्यम से विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध या अ ाप्त कर राज्य के भीतर उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा विहित कालावधि के दौरान उपभोग की गई कुल विद्युत् ऊर्जा का पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान, राज्य सरकार को विहित समय पर तथा विहित रीति में, किया जाएगा.".

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. 847-12-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 6 OF 2017

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), in sub- section (1), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(c) Every person other than electricity distribution licensee, who is not covered under clauses (a) and (b) and who consumes electrical energy within the State upon procuring or obtaining it from outside the State through open access, shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an